आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, नगर उंटारी (गढ़वा)

नामांतरण अपील वाद सं 02/16-17

जवाहीर प्रसाद ———— अपीलार्थी

प्रति

महेन्द्र प्रताप देव ———— प्रत्यार्थी

26.12.2017

आदेश

अभिलेख उपस्थापित। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के माध्यम से अंचल अधिकारी, नगर उंटारी द्वारा दाखिल खारिज वाद सं 592/15-16 में दिनांक 19.12.2015 को पारित आदेश के विरूद्ध अपील दायर किया गया है। अपील आवेदन-पत्र समय सीमा के बाद दायर किया गया है। विलम्ब को दूर करने हेतु धारा 5 के तहत आवेदन-पत्र दिया गया है। अपील आवेदन-पत्र पर विज्ञ अधिवक्ता को सूना। विलम्ब को दूर करते हुए अपील आवेदन-पत्र अंगीकृत किया जाता है। संबंधित पक्षकारों को नोटिस निर्गत करें एवं निम्न न्यायालय से मूल अभिलेख की मांग करें।

उभय पक्ष उपस्थित। मूल अभिलेख प्राप्त। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता को सूना। प्रत्यार्थी उपस्थित होकर पैरवी करना बन्द कर दिए। तत्पश्चात् वाद एकपक्षीय सुनवाई की गई।

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रश्नगत भूमि अपीलार्थी श्याम बहादुर सिंह से निबंधित दस्तावेज सं 1590 से क्रय किया है। क्रय करने के उपरान्त प्रत्येक वर्ष भूमि का लगान अदा कर रहे हैं तथा दाखिल कब्जा में भी है। उक्त क्रय की गई भूमि अंचल अधिकारी नगर उंटारी के द्वारा प्रश्नगत भूमि का पुन: निबंधित दस्तावेज सं. 1059 दि. 3.7.2012 को अपीलार्थी द्वारा क्रय की गई भूमि को बिक्री कर नामांतरण की कार्रवाई कर दी गई। जबकि अपीलार्थी के द्वारा कोई भूमि बिक्री की ही नहीं गई है। संबंधित अंचल अधिकारी के द्वारा बिना मांगधारी को सूचना दिए नामांतरण की कार्रवाई कर दी गई है जो गलत है। अंचल अधिकारी के द्वारा राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन को आधार मानकर नामांतरण की कार्रवाई कर दी गई।

अत: अंचल अधिकारी का आदेश निरस्त करते हुए अपील आवेदन-पत्र स्वीकृत की जाए।

प्रत्यर्थी अनुपस्थित। तत्पश्चात एक पक्षीय सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अंचल अधिकारी के द्वारा मुझे के मांगधारी को बिना सूचना दिए नामांतरण की कार्रवाई की गई है जबकि प्रश्नगत भूमि वर्ष 2014-15 तक अपीलार्थी के नाम से कायम है। अंचल अधिकारी के द्वारा नियम संगत कार्रवाई नहीं की गई है, जिसे

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। अंचल अधिकारी से प्राप्त अभिलेख एवं उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से विदित होता है कि प्रश्नगत भूमि 5.36 एकड़ का मांग अपीलार्थी के नाम से कायम है, जिसका मांग 63 पर चलता है। जिसमें मांगधारी को सूचना नहीं दी गई। पावर ऑफ एटरनी के आधार पर बिक्री की गई भूमि का नामांतरण की कार्रवाई की गई है जिसमें प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है।

अतः अंचल अधिकारी नगर उंटारी के नामांतरण वाद सं. 592/15-16 दिनांक 19.12.15 को पारित आदेश निरस्त करते हुए अपील आवेदन पत्र स्वीकृत किया जाता है।

आदेश की प्रति संबंधित अंचल अधिकारी नगर उंटारी को अनुपालन हेतु भेजें।

इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता
नगर उंटारी।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता
नगर उंटारी।